महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

(सितम्बर, 2005 के 21वें दिन पारित)

मुम्बई, 22 सितम्बर, 2005

सं. टीएएमपी/20/2005-एमबीपीटी.—इस प्राधिकरण ने गोदियों के भीतर कन्टेनरों के प्रहस्तन हेतु सम्मिश्र कन्टेनर दर के निर्धारण के लिए मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के प्रस्ताव से सम्बन्धित, प्रकरण सं. टीएएमपी/20/2005-एमबीपीटी में दिनांक 13 सितम्बर, 2005 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश, भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4) में 15 सितम्बर, 2005 को राजपत्र सं. 130 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

2. यह देखा गया है कि प्रीस्टेक क्षेत्र में निर्यात कन्टेनरों को चढ़ाने वाले/आयात कन्टेनरों को उतारने वाले प्रचालन के बारे में गोदियों पर प्रभावित एमबीपीटी के दरमान के, खण्ड V के उप-खण्ड (क) और (ख) की टिप्पणी (iii) में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। तद्नुसार, गोदियों पर प्रभावित एमबीपीटी के दरमान के खण्ड V के उप-खण्ड (क) और (ख) की टिप्पणी (iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

"(iii) उपरोक्त प्रभारों में पोत पर पोत-हमाली प्रभार, तोपघाट पर प्रहस्तन, प्रीस्टेक एरिया में निर्यात कन्टेनरों को चढ़ाना/आयात कंटेनरों को उतारना, पोतघाट और प्रीस्टेक/आरसीडी यार्ड के बीच लाना ले जाना, आईसीडी कन्टेनरों को रेलवे वैगनों से उतारना/पर चढ़ाना सम्मिलित है।"

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/05-असा.]

2879 GI/2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.